क्रमांक............

निविदा फार्म मूल्य 1000.00रू0 जी0एस0टी0 सहित

ऊधमसिंहनगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, खटीमा

निविदा प्रपत्र

रोड मिल्क टैंकर हेतु (तकनीकी बिड)–01

01– फर्म/वाहन स्वामी का नामः–...

02– फर्म/वाहन स्वामी के पिता का नामः–...

(फर्म की दशा में प्रोप्राइटर/डाईरेक्टर का नाम एवं पिता/पति का भी नाम लिखे।)

03– पताः–...

....

स्थायीः–...

....

दूरभाष ....मोबाईल न0...

05–ब्रान्च(यदि कोई हो):–...

06– धरोहर राशि का विवरण...
07– पैन कार्ड न0–..छाया प्रति संलग्न करें।
08– फर्म के पास कुल टैंकरों की संख्या एवं कुल क्षमता–...
09– जी0एस0टी0 नम्बर–...

10– कार्य अनुभव प्रमाण पत्र– हॉ/नहीं ....

11– किसी संस्था से ब्लैकलिस्टेड किये गये है– हॉ/नही...

दिनांकः–

निविदादाता के हस्ताक्षर

नामः–

पताः–

मो0न0–

क्रमांक............

ऊधमसिंहनगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, खटीमा

निविदा प्रपत्र

रोड मिल्क टैंकर हेतु (वित्तीय बिड)–02

01– प्रदेश के विभिन्न जनपदों एवं प्रदेश से बाहर दुग्ध परिवहन कार्य हेतु अनुबन्ध किये जाने पर कृपया रनिंग चार्जेज हेतु दरें (नीचे दिये गये स्थानों पर भरें)

विवरण	दर / रूपया प्रति किमी0
16,200 किग्रा0 अधिकतम भार (RLW) श्रेणी औसत 11,000 किग्रा0 दुग्ध भार हेतु	रू0...............................प्रति किमी0(अंको में) ....(शब्दों में)
25,000 किग्रा0 अधिकतम भार (RLW) श्रेणी औसत 17,500 किग्रा0 दुग्ध भार हेतु	रू0...............................प्रति किमी0(अंको में) ....(शब्दों में)

नोटः– प्रत्येक श्रेणी में अधिकतम Registred Laden Weight (RLW) के अन्तर्गत ही दुग्ध परिवहन किया जायेगा।

आफर पर दिये जा रहे टैकरों का विवरणः–

क्रमांक	पंजीकरण संख्या	पंजीकरण वर्ष	क्षमता **(RLW)**	वाहन बीमा अवधि
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

मेरे/हमारे द्वारा निविदा से सम्बन्धित सभी नियम एवं शर्तो को भली–भांति ज्ञात कर लिया गया है। मुझे/हमें निविदा की सभी नियम एवं शर्ते स्वीकार्य है। मेरी ओर से पृथक से कोई शर्त की मॉग नही की जा रही है। टैंकर की सम्बन्धित उपरोक्त विवरण पूर्णतः सत्य है।

दिनांकः–

निविदादाता के हस्ताक्षर

नामः–

पताः–

मो0न0–

ऊधमसिंहनगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, खटीमा (उधमसिंहनगर)

–रोड मिल्क टैंकरों की निविदा भरने सम्बन्धी बिन्दु–

निविदा भरते समय निम्न मुख्य बिन्दुओं पर ध्यान रखना आवश्यक है।

(निविदा लिफाफे के ऊपर निविदादाता का नाम व पता तथा संदर्भित कार्य का उल्लेख किया जाये।)

1– यह कि निविदा टू–बिड सिस्टम के आधार पर सम्पन्न की जायेगी, निविदादाता को एक लिफाफें में तकनीकी बिड रखी जानी है उसमें तकनीकी बिड लिखा जायें तथा दूसरे लिफाफें में वित्तीय बिड रखकर उस लिफाफें के ऊपर वित्तीय बिड लिखा जायें एवं दोनों लिफाफों को अलग–अलग बन्द कर बडे लिफाफें में पुनः बन्द कर निविदा देनी होगी। तकनीकी बिड में समस्त शर्ते पूर्ण होने पर ही वित्तीय बिड खोली जायेगी।

2– संलग्न नियमों का पूर्ण रूप से अध्ययन कर लें।

3– निविदा प्रपत्र के साथ मु0–50,000.00 (पचास हजार रूपया) की धनराशि धरोहर राशि के रूप में नगद अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जो उधमसिंहनगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, खटीमा के नाम जो खटीमा में देय हो जमा करनी होगी। निविदा स्वीकृत न होने की दशा में संस्था द्वारा उक्त धनराशि मांग करने पर 15 दिवस उपरान्त वापस कर दी जायेगी।

4– निविदा प्रपत्र के साथ धरोहर राशि जमा करने का प्रमाण पत्र रसीद/ड्राफ्ट मूल रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। पूर्व वर्षो में जमा धरोहर राशि का समायोजन वर्तमान निविदा में मान्य नही होगी।

5– उधमसिंहनगर दुग्ध संघ को मार्च से नवम्बर माह तक कम से कम 03 टैंकर तथा दिसम्बर से अप्रैल तक कम से कम 06 टैंकरों की अनुमानित आवश्यकता होगी। अतः बिन्दु सं0 10 में अंकित विवरणानुसार 06 टैंकरों की पंजीकरण संख्या एवं इंश्योरेन्स आदि के कागजात उपलब्ध कराने होगें। सम्बन्धित परिवहनकर्ता द्वारा उक्त टैंकरों को ससमय उपलब्ध नही कराया जाता है तो संस्था को होने वाली हानि की वसूली सम्बन्धित परिवहनकर्ता से की जायेगी।

6– निविदा दुग्ध संघ के निर्धारित मानकों, शर्तो पर आधारित न होने पर एक अथवा समस्त निविदायें बिना विचार के निरस्त किये जाने योग्य होगी।

7– निविदायें खोले जाने पर निविदादाताओं से निगोशिएशन किये जाने का अधिकार दुग्ध संघ के पास सुरक्षित है।

8– निविदा सम्बन्धी सभी विवादों का न्याय क्षेत्र सम्बन्धित जनपद के दुग्ध संघ का मुख्यालय खटीमा होगा।

9– समस्त निविदाए कमेटी द्वारा उपस्थित निविदादाताओं की निविदा खोले जाने पर यदि निविदादाताओं द्वारा प्रतिनिधियों को भेजा जाता है तो अधिकृत प्रमाण देना होगा।

10– निविदादाताओं को निविदा में आफर किये जा रहे समस्त वाहनों की पंजीयन संख्या एवं इंश्योरेन्स की सत्यापित छाया प्रतियां स्वामित्व के प्रमाण पत्र के रूप में निविदा के साथ संलग्न करनी होगी। टैंकर/चेसिस का स्वामित्व निविदादाता का न होने की स्थिति में स्वामित्व वाली फर्म/व्यक्ति का पार्टनरशिप डीडी/पावर ऑफ अटार्नी/अनुबन्ध की स्वं प्रमाणित सत्यापित छाया प्रति निविदा के साथ संलग्न करनी होगी, जिसके बिना निविदा स्वीकार नही की जायेगी।

11– अनुबन्ध करने के लिये समस्त नियम एवं शर्ते निविदा फॉर्म के साथ हस्ताक्षर कर संलग्न करनी होगी।

12– यह कि संस्था में कार्यरत कर्मचारी अथवा उसके आश्रित की निविदा स्वीकृत नही की जायेगी। जिसे उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावल, 2002 के नियम संख्या–2(ग) के अनुसार किसी कर्मचारी के ''परिवार का सदस्य'' को निम्नवत् परिभाषित किया गया है।

नियम संख्या–2(ग):–

(1)– ऐसे सरकारी कर्मचारी की पत्नी, उसका लड़का, सौतेला लड़का, अविवाहित लड़की या अविवाहित सौतेली लड़की चाहे वह उनके साथ हता/रहती हो अथवा, नही, और किसी महिला सरकारी कर्मचारी के सम्बन्ध में उसके साथ रहने वाला तथा उस पर आश्रित उसका पति, तथा

(2)– कोई भी अन्य व्यक्ति, जो रक्त सम्बन्ध से या विवाह द्वारा उक्त सरकारी कर्मचारी या सम्बन्धी हो या ऐसें सरकारी कर्मचारी की पत्नी का या उसके पति का सम्बन्धी हो और जो एसे कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित हो,

किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसी पत्नी या पति सम्मिलित नही होगी/सम्मिलित नही होगा, जो सरकारी कर्मचारी विधितः पृथक की गयी हो/पृथक किया गया हो या ऐसा लड़का, सौतेला लड़का, अविवाहित सौतेली लड़की सम्मिलित नही होगा, या/सम्मिलित नही होगी जो आगे के लिए किसी भी प्रकार उस पर आश्रित नही है या उसकी अभिरक्षा (custody) से सरकारी कर्मचारी को विधि द्वारा वंचित कर दिया गया हो।

(राजेश मेहता)
प्रधान प्रबन्धक

दुग्ध परिवहन हेतु रोड मिल्क टैंकरों/चेसिस किराये पर लेने के सम्बन्ध में सामान्य नियम व शर्ते

तकनीकी निर्दिष्टयां–

1– टैंकरों का इंजन एवं चेसिस कम से कम वर्ष 2018 व उसके बाद के हो अर्थात 08 वर्ष से अधिक पुराने न हों, सामान्य दरे होने पर नवीनतम माडलों के टैंकरों/चेसिसों की प्राथमिता दी जायेगी।

2– टैंकरों का बैरल भीतर की ओर से स्टेनलेस स्टील का होना आवश्यक है, टैंकर आसानी से साफ किया जा सकने वाला सेनेटरी टाइप डिस्चार्ज वाल्व, ब्लाइड प्लन्जर एवं दुग्ध की अनधिकृत निकासी/चोरी रोकने के लिए डिस्चार्ज वाल्क तथा मेनहोल पर लोकेबुल कवर होना चाहिए। एसएस के भीतरी बैरल पर न्यूनतम 100 मिलीमीटर मोटी थर्मोकोल की इन्सुलेशन एवं इसकी आउटर कलेडिग एमएस अथवा एसएस की होनी चाहिए।

3– रोड मिल्क टैंकर का 16,200 कि0ग्रा0 अधिकतम भार (RLW) श्रेणी औसत 11,000 किग्रा0 दुग्ध भार परिवहन हेतु एवं 25,000 किग्रा0 अधिकतम भार (RLW) श्रेणी औसत 17,500 किग्रा0 दुग्ध भार परिवहन होना चाहियें। टैंकर/चेसिस पूर्ण रूप से इस प्रकार उत्तम थर्मल एवं मैकेनिकल कंडीशन में होने चाहिए कि उससे आवश्यकतानुसार दुग्ध परिवहित किया जा सके एवं जिस तापमान पर दुग्ध भरा जाये उसमें **24 घंटे की भीतर 1.5** डिग्री सेन्टीग्रेट से अधिक तापमान की वृद्धि न हो तथा **1.5 डिग्री.** सेन्टीग्रेट से अधिक तापमान बढने पर प्रति डिग्री **की 0.05 (पांच पैसे)** प्रति किग्रा0 की पैनाल्टी लगायी जायेगी। इसके अतिरिक्त ऐसे टैंकरों को आगे कार्य पर नही लिया जायेगा एवं यदि इससे परिवहन के मध्य कोई हानि हुई हो तो उसकी क्षतिपूर्ति परिवहनकर्ता से की जायेगी।

4– निविदादाता को दुग्ध ढुलान का न्यूनतम 05 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए, उसका प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

सामान्य दायित्व–

5– परिवहनकर्ता अपने टैंकरों/चेसिस का रखरखाव उच्च श्रेणी का रखेगें जिससे एक तरफ से 250 किमी0 से अधिक दूरी तय कर रहे टैंकरों हेतु दो ड्राईवर की टैंकर पर तैनाती रात्रि में चलने हेतु हेडलाइटों एवं कोहरे इत्यादि में चलने के लिए फाग लाइटों की व्यवस्था शामिल होगी। आकस्मिक निरीक्षण के मध्य टैंकरों पर दूसरे ड्राईवर की अनुपस्थिति/सेल्फ/हेड लाइट/फाग लाइट की खराबी या न लगे होने की स्थिति में प्रथम बार में चेतावनी दूसरी बार में 1000.00 रूपयें का वित्तीय दण्ड, तीसरे बार में 2000.00 रूपये का वित्तीय दण्ड व चौथी बार में टैंकर व चेसिस को हटा दिया जायेगा व जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी। उक्त व्यवस्था टैंकरवार /प्रभावी होगी।

6– परिवहनकर्ता दुग्ध परिवहन हेतु दुग्ध संघ से अनुबन्ध करेगें एवं अनुबन्धकर्ता दुग्ध संघ के निर्देशानुसार प्रदेश में अथवा आवश्यकतानुसार प्रदेश के बाहर निर्दिष्ट किये गये दुग्ध मार्ग पर चलायेगें। सामान्य रूप से टैंकरों को पूरा भरकर ही भेजा जायेगा परन्तु आवश्यकता पडने पर टैंकरों को मार्ग पर/अन्य स्थानों से क्षमता/अवशेष क्षमता के समरूप दुग्ध उठाना/पहुंचाना होगा तथा भुगतान तद्नुसार किया जायेगा। अनुबन्धित टैंकर/चेसिस अनुबन्ध की अवधि में किसी अन्य व्यक्ति/फर्म/प्रतिष्ठान का दुग्ध परिवहित नहीं करेगा अन्यथा इसे हटा कर जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।

7– परिवहनकर्ता, अनुबन्धकर्ता दुग्ध संघ से दूसरे दुग्ध संघ तक अवशीतन केन्द्र से दुग्ध संघ तक दूध के सुरक्षित एवं त्वरित परिवहन हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा। यदि टैंकर/चेसिस में किसी तरह की कोई खराबी आती है तो परिवहनकर्ता को अविलम्ब इसका रिप्लेसमेन्ट देना होगा। शर्त

यह है कि टैंकर/चेसिस किसी दूसरी अनुबन्धित इकाई/दुग्ध संघ से हटाया नही होना चाहिए, यदि परिवहनकर्ता बारह घंटे के भीतर रिप्लेसमेन्ट देने में असमर्थ रहता है तो खराब टैंकर/चेसिस की जमानत राशि जब्त करते हुए वैकल्पिक व्यवस्था करने हेतु बाध्य होना पडेगा, यदि इससे किसी प्रकार की आर्थिक हानि होती है तो उसकी वसूली परिवहनकर्ता के देयको इत्यादि में से की जायेगी। रिप्लेसमेन्ट में दिया गया टैंकर/चेसिस को उनकी फिटनेस/रोड वर्दनिस प्रस्तुत करने पर ही कार्य पर लिया जायेगा।

8– परिवहनकर्ता की जिम्मेदारी होगी कि प्रेषक अथवा प्राप्तकर्ता दुग्ध संघ द्वारा दिये गये तरल दुग्ध के प्रेषण/प्राप्ति प्रपत्रों/अभिलेखों को सुरक्षित रखे एवं निर्दिष्ट किये गये व्यक्ति/व्यक्तियों को ससमय उपलब्ध करा दें। परिवहनकर्ता परिवहन से सम्बन्धी विवरण एक लागबुक बना कर मेन्टन करेगें। लागबुक का प्रारूप दुग्ध संघ से प्राप्त किया जा सकता है, इसके अतिरिक्त परिवहनकर्ता टैंकरों को डेरी प्लांटों/अवशीतन केन्द्रो से निर्गत किये जाते समय जारी किये गये गेट पासों को भी सुरक्षित रखेगें एवं यात्रा में लगने वाले समय की गणना हेतु प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत करेगे। प्रेषण/प्राप्ति के प्रपत्रों/अभिलेखों को निर्दिष्ट व्यक्तियों को उपलब्ध न कराये जाने की दशा में बिलो का भुगतान रोक दिया जायेगा एवं यदि इससे कोई हानि होती है तो उसे परिवहनकर्ता से वसूल किया जायेगा।

9– परिवहनकर्ता किसी बाहरी व्यक्ति को अपने वाहन पर नही बैठायेगें, केवल दुग्ध संघ स्टाफ को आवश्यकता होने पर संस्था कार्यहित में टैंकर में ले जना होगा, परन्तु ऐसा मोटर व्हीकल अधिनियम/निबन्धन प्रपत्र/रोड परमिट में तत्समय लागू नियमों/शर्तो/उपबन्धों के अनुरूप ही किया जाना अपेक्षित है। अनुबन्धकर्ता दुग्ध संघ को यह अधिकार होगा कि वह मार्ग में कही भी टैंकर को रोककर उसकी जांच करा लें, टैंकर पर सवारी पाये जाने पर प्रथम बार रू0 500.00(पांच सौ रूपयें), द्वितीय बार रू0 800.00(आठ सौ रूपये)एवं तृतीय बार रू0 1000.00 (एक हजार रूपये) प्रति सवारी अर्थदण्ड लगाया जायेगा एवं चौथी बार पकडे जाने पर टैंकर/चेसिस को हटा कर जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।

10– परिवहनकर्ता के स्टाफ (ड्राइवर/क्लीनर) द्वारा चोरी किये जाने की स्थिति में परिवहनकर्ता से चोरी किये गये सामान की धनराशि का 50 गुना वसूली की जायेगी एवं जमानत राशि जब्त करते हुये अनुबन्ध समाप्त कर दिया जायेगा। इसी प्रकार (ड्राइवर/क्लीनर) द्वारा अमर्यादित व्यवहार निर्देशों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में सम्बन्धित (ड्राइवर/क्लीनर) को हटाया जाना अनिवार्य होगा तथा चेसिस/टैंकरों में कोई मरम्मत/परिवर्तन/संशोधित इंगित किये जाने पर परिवहनकर्ता को इसे अविलम्ब कराना होगा।

11– निविदा में इंगित किये जाने वाला/वाले टैंकर/टैंकरों/चेसिस को निविदादाता के पूर्ण स्वामित्व में होने चाहिये जिसके प्रमाण स्वरूप निबन्धन प्रमाण पत्र (आर0सी0) की स्वच्छ एवं स्पष्ट छाया प्रति, स्वं प्रमाणित हो, निविदा के साथ संलग्न करनी होगी। स्वामित्व न होने की स्थिति में नियम/शर्त संख्या 26 के अनुरूप अभिलेखों की राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित/सत्यापित छाया प्रति प्रस्तुत करनी होगी। परिवहनकर्ता के पास समस्त भारतवर्ष में टैंकर/चेसिस चलाने हेतु वैद्य परमिट होना चाहिये अर्थात टैंकर का N.P. होना चाहिए।

12– परिवहनकर्ता मोटर व्हीकल एक्ट के प्राविधानों/उपबन्धों के अनुरूप अपने टैंकर/चेसिस को फिट एवं रोड–वर्दी रखने हेतु उत्तरदायी होगें। अनुबन्ध की अवधि में टैंकरों, चेसिस पर माउन्टेड बैरल की सफाई एवं मेन्टेन हेतु पूर्णरूप से उत्तरदायी होगे। आउटर क्लेनिगं के एसएस का न होने की स्थिति में इस पर पेन्ट होना चाहिये। मात्र अनुबन्ध की अवधि तक इस पर अनुबन्धकर्ता इकाई/दुग्ध संघ से सम्बद्व एवं मिल्क–नाट–फार सेल अनिवार्य रूप से पेन्ट से लिखा जाना

चाहिये। ऐसा न किये जाने की स्थिति में 'प्रिवेन्शन आफ फुड एडलरटेशन' एक्ट के अन्तर्गत वाद हो जाने पर समस्त व्ययों की वसूली परिवहनकर्ता से की जायेगी, अनुबन्ध अवधि समाप्त हो जाने के उपरान्त दुग्ध संघ का नाम टैंकर से अविलम्ब मिटाना होगा। चेसिस हेतु अनुबन्ध किये जाने पर परिवहनकर्ता, अनुबन्धकर्ता दुग्ध संघ के बैरल की देख–रेख, मेन्टीनेन्स एवं सुरक्षा हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें। बैरल को क्षति पहुंचाने की स्थिति में बैंक गारन्टी/जमानत राशि में कटौती कर वसूली की जायेगी।

13– मोटर व्हीकल एक्ट एवं इसके अधीन बनें केन्द्रीय/राज्य स्तरीय/स्थानीय यातायात नियमों का उल्लंघन करने का व्यक्तिगत दायित्व मात्र परिवहनकर्ता अथवा उसके स्टाफ का होगा। यदि इससे अनुबन्धकर्ता इकाई/दुग्ध संघ को कोई हानि होती है तो उसकी प्रतिपूर्ति परिवहनकर्ता से की जायेगी। दुग्ध परिवहन करने के दौरान मार्ग पर होनी वाली दुर्घटना से यदि थर्ड पार्टी के जीवन अथवा सम्पत्ति को क्षति होती है तो दुग्ध संघ इसके लिए किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा। टैंकर/चेसिस का इन्श्योरेंस कराने का दायित्व परिवहनकर्ता का होगा।

14– परिवहकर्ता के टैंकर/चेसिस में, अनुबन्धकर्ता दुग्ध संघ अथवा प्राप्तकर्ता दुग्ध संघ के डेरी प्लान्ट/अवशीतन केन्द्र पर, चोरी/क्षति/आग इत्यादि लग जाने की दशा में सम्पूर्ण दायित्व मात्र परिवहनकर्ता का होगा। केवल प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ, भूकम्प आदि तथा हडताल व दंगे से हुई क्षति हेतु परिवहनकर्ता उत्तरदायी नहीं होगें। दुर्घटना की दशा में परिवहनकर्ता से कोई कटौती सामान्यतया नहीं की जायेगी, केवल कटौती उन्ही परिस्थिति में की जायेगी जहॉ इस बात की पुष्टि हो जाय कि दुर्घटना परिवहनकर्ता के कारण हुई है।

15– परिवहनकर्ता द्वारा टैकरों पर G.P.S. एवं दो कैमरे फ्रन्ट एवं बैक साईड पर लगाया जाना अनिवार्य होगा, जिसका एक्सेस/लिंक दुग्ध संघ को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।

16– परिवहनकर्ता द्वारा किसी भी विभाग या संस्था एवं किसी फर्म में ब्लैकलिस्ट(कालीसूची) में नही किये जाने का प्रमाण पत्र निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

टैक्सेज एवं लेवीजः–

17– परिवहनकर्ता को टैंकर/चेसिस से सम्बन्धित समस्त करों/लेवीज का दायित्व स्वयं वहन करना होगा। मात्र दुग्ध परिवहन के मध्य टोल टैक्स अथवा कोई अन्य कर, यदि देय हुआ है का भुगतान मूल रसीद, प्रस्तुत करने पर सम्बन्धित दुग्ध संघ द्वारा किया जायेगा।

अनुबन्ध की अवधि एवं समाप्तिः–

18– निविदा के माध्यम से फाइनल की गई दरें एक वर्ष हेतु मान्य होगी कार्य सन्तोषजनक की स्थिति में अनुबन्ध तीन वर्ष हेतु किया जा सकता है। तथा अनुबन्ध अवधि पूर्ण होने पर संस्था द्वारा तीन–तीन माह (अधिकतम छः माह हेतु) आगे भी बढाया जा सकता है। यह अनुबन्ध संस्था की ओर से 30 (तीस) दिवसों का पूर्व नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है। यदि परिवहनकर्ता अथवा उसके कोई स्टाफ ऐसी गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है जो संस्था हित में नही है तो उसका अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जा सकता है।

धरोहर राशि एवं जमानत राशि

19– निविदा स्वीकृति उपरान्त निविदादाता को संस्था में जमानत राशि मु0–5,00,000रू0(पांच लांख रूपया) जमा करनी होगी, निविदादाता चाहे तो जमानत धनराशि का 50 प्रतिशत एफ0डी0आर0 जोकि दुग्ध संघ के नाम प्लेज्ड हो जमा कर सकता है, तथा संस्था में पूर्व में जमा जमानत धनराशि मान्य नही होगी।

20– जमानत राशि अनुबन्ध समाप्त होने के अडिट होने अथवा एक वर्ष जो कि पहले हो इस हेतु प्रार्थना पत्र एवं समस्त सम्बन्धित से अदेयता अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर वापस की जायेगी प्रतिबन्ध यह है कि वाहन का अन्तिम देयक निर्विवादित एवं फाइनल किया जा चुका हो।

भुगतान की शर्तेः–

21– टैंकर/चेसिस की वास्तविक भार वहन क्षमता एवं एक दुग्ध संघ से दूसरे दुग्ध संघ की वास्तविक दूरी अनुबन्धकर्ता दुग्ध संघ द्वारा सत्यापित प्रमाणित की जायेगी एवं इसी के आधार पर भुगतान किया जायेगा। टैंकर/चेसिस के स्वामी द्वारा जैसा पूर्व में इंगित किया जा चुका है, मात्रा विवरणों हेतु लाग बुक मेन्टेन की जायेगी जो भुगतान का अधार होगी एवं समय–समय पर जांच हेतु मांगी जायेगी। भुगतान पाक्षिक रूप से देय होगा जो किसी भी प्रकार की कटौती या अन्य बकाया राशि यदि कोई हो, को बिलों से समायोजित कर समान्यतः बिल एवं लॉग बुक भुगतान हेतु प्रस्तुत करने पर अनुबन्धकर्ता दुग्ध संघ द्वारा किया जायेगा।

अनुबन्ध दुग्ध संघ को यह सुनिश्चित करना होगा कि भुगतान करने से पूर्व अनुबन्ध की समस्त औपचारिकताऐं पूर्ण कर ली गयी हो, जिसमें आरसी की सत्यापित प्रति परिवहनकर्ता से प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। परिवहनकर्ता की यह जिम्मेदारी होगी कि अपने बैरल पर भी चेसिस का आरसी नम्बर, क्षमता अवश्य अंकित करें। बिना पूर्व सूचना के बैरल को परिवर्तित किया जाना मान्य नहीं होगा।

22– भार वाहन क्षमता/दूरी इत्यादि सम्बन्धी कोई भी विवाद दुग्ध संघ व पार्टी के अधिकृत प्रतिनिधि के मध्य आपसी सहमति द्वारा हल किया जायेगा।

विशेष परिस्थितियों में दरों में कमी/वृद्धिः–

23– डीजल की दरों में केन्द्र/राज्य सरकारों द्वारा परिवर्तन किये जाने की दशा में परिवर्तन उसी दिनांक से परिवर्तकर्ता को अनुमन्य होगें। दरों में परिवर्तन की गणना का आधार प्रति 04 किमी0 यात्रा पर एक लीटर डीजल होगा। दरों में वृद्धि मै0 इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा सम्बन्धित दुग्ध संघ के शहरों हेतु समय–समय पर लागू डीजल दरों में किये गये परिवर्तनों पर आधारित होगी एवं इस हेतु परिवहनकर्ता को प्रार्थना पत्र दुग्ध संघ के प्रधान प्रबन्धक को प्रमाण सहित देना होगा। दरों में कमी की स्थिति में भी वही प्रक्रिया अपनायी जानी चाहिए, परन्तु यदि यह उनके द्वारा यह दुग्ध संघ के संज्ञान में नहीं लाया जाता है तो दरों में कमी की जानकारी होने पर परिवर्तन की प्रभावी तिथि से ही दरों में कमी की जायेगी एवं अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली अगले बिल से कर ली जायेगी। लुबीकेन्ट हेतु दर बृद्वि मान्य नहीं होगी।

दण्डात्मक अनुच्छेदः–

24– परिवहनकर्ता दुग्ध का परिवहन न्यूनतम संभव समय में पूरा करने हेतु उत्तरदायी होगा। इस हेतु डेरी/अवशीतन केन्द्र से निर्गत किये जाने के पश्चात मार्ग पर खाली टैंकर हेतु 45 किमी0/घन्टा एवं भरे टैंकर हेतु 40 किमी0/घन्टा की औसत गति से गन्तव्य पर पहुॅचाना होगा।

निर्धारित समयावधि से विलम्ब से पहुॅचने की दशा में निम्नवत् पैनाल्टी देय होगी। पैनाल्टी लगाये जाने हेतु अवशीतन केन्द्र/डेयरी प्लान्ट से निर्गत हेतु जारी गेटपास पर अंकित समय को आधार माना जायेगा।

(1) दो घन्टे तक विलम्ब से पहुॅचने की दशा में, यदि दुग्ध की गुणवत्ता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडा है, कोई पैनाल्टी नहीं ली जायेगी।

(2) दो घन्टे से अधिक विलम्ब हेतु यदि दुग्ध की गुणवत्ता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडा हैं, प्रति घन्टे रूपया 400.00 (चार सौ रूपया) की पैनाल्टी टैंकर/चेसिस के बिलों से काट ली जायेगी।

(3) टैंकर/चेसिस के विलम्ब से पहुॅचने की दशा में यदि दुग्ध की गुणवत्ता प्रभावित हो गई है और इससे सम्बन्धित दुग्ध संघ को आर्थिक हानि पहुॅची है तो केवल प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ ,भूकम्प तथा हड़ताल व दंगों की स्थिति को छोडकर हानि की प्रतिपूर्ति परिवहनकर्ता से की जायेगी, परन्तु ऐसी दशा में टैंकर के विलम्ब से पहुॅचने पर लगायी जाने वाली सामान्य पैनाल्टी लागू नहीं होगी तथा इस ट्रिप हेतु वाहन का किराया देय होगा।

(4) ट्रैफिक जाम जैसे परिस्थिति सामान्य विलम्ब में समायोजित होगी।

(5) कोहरे की स्थिति में वाहन के गन्तव्य स्थान पर देर से पहॅचने पर पैनाल्टी में छूट दी जा सकेगी, जिसके लिये सम्बन्धित दुग्ध संघ के फैक्ट्री मैनेजर/प्रभारी द्वारा बिल प्रमाणित किया जायेगा, परन्तु कोहरे के कारण वाहन देर से पहॅचने पर यदि दूध की गुणवत्ता प्रभावित होती है तो उसका पूर्ण दायित्व परिवहनकर्ता का होगा।

25– परिवहनकर्ता दुग्ध परिवहन करने से पूर्व टैंकर/बैरल की क्षमता का सत्यापन स्वयं भी कर ले एवं टैंकर/बैरल के भरे जाते समय परिवहनकर्ता/उसका प्रतिनिधि टैंकर/बैरल के भरे गये दुग्ध की मात्रा एवं दुग्ध की गुणवत्ता की जांच अपने सामने कराकर परिवहित किये जाने वाले दुग्ध की गुणवत्ता एवं मात्रा से आश्वासित हो ले, तदोपरान्त यह दूध उनको हस्तगत करा दिया जायेगा एवं परिवहनकर्ता/उनका स्टाफ हस्तगत कराये गये दुग्ध की मात्रा एवं गुणवत्ता यथावत गन्तव्य तक पहॅुचने का उत्तरदायित्व होगा।

26–(1) टैंकर भेजे जाते समय इकाई/दुग्ध संघ के प्रतिनिधि द्वारा इस परिवहनकर्ता/इसके स्टाफ के समक्ष सील कर दिया जोयगा। परिवहन के दौरान मार्ग में अथवा गन्तव्य पर सील के खुला/टूटा/टेम्पर या अन्य किसी प्रकार की हेराफेरी किया हुआ पाये जाने पर परिवहनकर्ता दुग्ध की मात्रा, वसा एवं वसा रहित ठोस मात्रा की हानि के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा, जिसके समक्ष दण्ड स्वरूप हानि का 50 गुना राशि परिवहनकर्ता से वसूल की जायेगी। प्राप्त दूध में यदि कोई मिलावट पाई जाती है तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व भी परिवहनकर्ता का होगा।

(2)– टैंकर के मेनहोल लीड, मेनहोल लीड कवर, एयर वेल्ट आउट, लेट वाल्व बाक्स इत्यादि स्थानों पर सील/ताला भी लगाने की सुविधा उपलब्ध कराना परिवहनकर्ता के लिए अनिवार्य होगा। यदि परिवहनकर्ता द्वारा उपलब्ध कराये गये टैंकर में लीड कवर उपलब्ध है तो वह टैंकर दुग्ध परिवहन हेतु स्वीकार नही किया जायेगा।

27– टैंकर से दुग्ध परिवहन करते समय वसा तथ वसा रहित ठोस का परीक्षण एवं टैंकरों के सील्ड परिवहनकर्ता/उसके प्रतिनिधि के समक्ष इस प्रकार से किया जायेगा जिससे सभी आउट लेट सील्ड हालत में डिस्पैच हो। यह परिवहनकर्ता की जिम्मेदारी होगी कि दुग्ध को बिना किसी क्षति पहॅुचाये निर्धारित स्थान तक समयान्तर्गत पहॅुचाये। आमतौर पर दुग्ध परिवहन के दौरान वसा तथा वसा रहित ठोस की कोई हानि नही होती है, लेकिन परीक्षण एवं तौल में वैरीयेशन को ध्यान में रखते हुए परिवहित दुग्ध में उपलब्ध कुल वसा प्रतिशत एवं वसा रहित ठोस प्रतिशत मात्रा का अधिकतम वैरीयेशन परीमीसिबिल **लिमिट 0.05** प्रतिशत वसा एवं **0.07** प्रतिशत वसा रहित ठोस देय होगी इससे अधिक अन्तर पाये जाने की दशा में हानि की कटौती तद्समय प्रचलित एस0एम0जी0 रेटों के आधार पर टैंकर परिवहनकर्ता से कर ली जायेगी।

उपरोक्त परमीशिबिल लिमिट उस स्थिति मे मान्य होगा, जब टैंकर का सील सही हालात में पाया गया हो। सील टूटी पाये जाने की दशा में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व परिवहनकर्ता का होगा। इसके लिए निम्न नियम लागू होगें।

(1) टैंकर से परिवहित तरल दुग्ध की मात्रा, वसा एवं वसा रहित ठोस हानि की गणना दैनिक आधार पर की जायेगी।

(2) यदि टैंकर को किसी ट्रिप मे दुग्ध की मात्रा, वसा एवं वसा रहित ठोस मात्रा बढ़कर मिली है तो इसे पूर्व की हानि से समायोजित करा लिया जायेगा।

28– परिवहनकर्ता को प्रदेश/प्रदेश से बाहर भेजे गये दुग्ध के अस्वीकार/खट्‌टे/फट जाने पर उसे पुनः निर्धारित किये गये गन्तव्य डेरी प्लान्ट/अवशीतन केन्द्र तक पहॅुचाना होगा तथा यदि आवश्यकता पड़ी तो वापसी में किसी निर्देशित स्थान से दूध भी परिवहन करना होगा। ऐसा न किये जाने की दशा में हानि की वसूली की जायेगी एवं अनुबन्ध की समाप्ति तथा जमानत राशि को जब्त

किया जाना अथवा दोनो दण्ड दिये जा सकते है। इस हेतु विशेश निर्देशों के अन्तर्गत भरी अवस्था में वापसी में अनलोडिगं स्थान तक चलायी गई दूरी पर अतिरिक्त भुगतान निर्धारित दर का 25 प्रतिशत की दर से देय होगा। केवल वापसी में तय की गई दूरी हेतु अनुमन्य समय सीमा से अधिक समय लगने की दशा में दुग्ध की गुणवत्ता को देखते हुए परिवहनकर्ता से कटौती की जा सकती है।

29– संस्था में अनुबन्धित दुग्ध टैंकर द्वारा यदि कोई दुर्घटना की जाती है एवं उक्त दुर्घटना में कोई धन हानि/जन हानि होती है तो उसके लिये सम्बन्धित परिवहनकर्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

30– परिवहनकर्ता उससे किये गये अनुबन्ध को सब–लैट करने हेतु अधिकृत नहीं होगें। परन्तु उनके द्वारा विशेष परिस्थितियोंवश अनुबन्ध को पूरा करने के लिए ऐसे टैंकरों/चेसिस की सेवायें ली जा सकती है, जो उनके स्वामित्व में नही है, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि ये सेवायें मूल अनुबन्धकर्ता एवं टैंकर/चेसिस के स्वामी के मध्य व्यापारिक अनुबन्ध के अन्तर्गत ली जा रही हो एवं इस हेतु मूल अनुबन्धकर्ता दुग्ध संघ को पूर्व में ही लिखित रूप मे सूचित कर चुका हो तथा पार्टनरशिप डीड/पावर–ऑफ एटार्नी/अनुबन्ध की स्वं प्रमाणित सत्यापित स्वच्छ छाया प्रति उपलब्ध करा चुका हो। यदि अनुबन्धकर्ता दुग्ध संघ परिवहनकर्ता द्वारा किसी पाट्री विशेष/टैंकर/चेसिस स्वामी से टैंकर/चेसिस लिये जाने में आपत्ति व्यक्त करती है तो परिवहनकर्ता द्वारा उस पाट्री विशेष/टैंकर/चेसिस स्वामी के टैंकर दुग्ध संघ में उपरोक्तानुसार नही लगाये जायेगें।

31– टैंकर दिल्ली जाने की स्थिति में टैंकर स्वामी को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना आवश्यकीय होगा जिसकी जिम्मेदारी टैंकर स्वामी की होगी।

32– टैंकर के मिल्क टैंक पर लोडिंग तथा अनलोडिंग दोनो जगह पर ई–सील होना अनिवार्य है।

आर्बीट्रेशनः–

33– परिवहनकर्ता को दुग्ध संघ की ''ख श्रेणी'' का एक हिस्सा खरीद कर नॉमिनल सदस्यता ग्रहण करनी होगी। परिवहनकर्ता एवं अनुबन्धकर्ता इकाई दुग्ध संघ के मध्य किसी प्रकार का विवाद होने पर यह विवाद न्यायालय के स्थान पर उत्तराखण्ड सहकारिता अधिनियम इसके साथ पठित नियमो, दुग्ध संघों की उपविधियों के अनुसार **निदेशक/निबंधक दुग्ध सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड अथवा उसके नामित प्रतिनिधि के आर्बिट्रेशन** से हल किया जायेगा जो दोनो पक्षों को मान्य होगा।

दिनांक–

निविदादाता के हस्ताक्षर

नामः–

पताः–

मो0न0–